P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-2) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

कोटा जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों का समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

सुनीता तिवारी
शोध छात्रा,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
कैरियर पाइंट यूनिवर्सिटी
कोटा, राजस्थान, भारत

सुषमा सिंह
प्रोफेसर,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
जे.एल.एन.टी.टी. कॉलेज,
कोटा, राजस्थान, भारत

सारांश

समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति को अवसर मिलने चाहिए इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है।

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है शिक्षा के द्वारा बालक में अन्तर्निहित शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। शिक्षा ही व्यक्तित्व, चारित्रिक गुणों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करके बालकों को स्वावलम्बी एवं आत्मविश्वासी बनाता है अतः शिक्षा को देश के विकास की आधारशिला कहा जाता है।

शिक्षाविदों तथा राष्ट्र निर्माताओं को अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलग एवं विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम एक निम्न श्रेणी का निर्माण करती है, इस संदेश के साथ कि बालक सामान्य श्रेणी के बालकों के साथ ठीक नहीं बैठते अथवा उनसे सम्बन्धित नहीं है। ऐसी शिक्षा बालकों की एक बड़ी संख्या को आत्म मूल्यांकन एवं आत्म प्रतिष्ठा पर कुप्रभाव डालती है।

समावेशी शिक्षा सामाजिक सम्बंधों को बेहतर बनाने के लिए एक अवसर भी है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रणाली में सुधार करती है।

मुख्य शब्द : समावेशी शिक्षा, अभिवृत्ति, परिपूर्ण दिव्यांग, अशक्त, अक्षमता।

प्रस्तावना

समावेशी शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें कनाड़ा और अमेरिका से जुड़ी हैं समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग (दिव्यांग) बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से परिपूर्ण हो और वह किसी भी वातावरण में अपने आपको समायोजित करता है तो हम उसे स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता अलग–अलग होती है।

इसी प्रकार अलग–अलग व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की अक्षमता को समझने के लिए हमें उनकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता की जानकारी होना आवश्यक है अक्षमता शब्द किसी भी व्यक्ति में किसी भी कारण से आयी कमी को प्रदर्शित करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि मानव शरीर का कोई भी अंग तंत्रिका या मस्तिष्क भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उससे सम्बन्धित क्रियाओं में अक्षमता आ जाती है जो सामाजिक प्ररिप्रेक्ष्य (Perspective) में शारीरिक अथवा मानसिक सीमितता के रूप में प्रदर्शित होती है और इसके कारण अपना व्यक्तिगत सामुदायिक और जिम्मेदारी को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है।

अक्षमता अस्थाई, तात्कालिक या स्थाई भी हो सकती है। यह व्यक्ति के किसी अंग विशेष या व्यक्ति के पूरे शरीर की कार्यक्षमता की कमी से संबंधित है जो व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य करने से रोकता है।

शिक्षा का समान अधिकार जैसा कानून तभी प्रतिफलित हो सकता है, जब हम शिक्षा की मुख्यधारा में उनको भी सम्मिलित करें जिनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक आवश्यकताएँ उन बालकों से भिन्न है। जो सामान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते है। समावेशी शिक्षा इस दिशा में सर्तकता से किया जा रहा एक परिपूर्ण प्रयास है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

2. सरकारी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
3. गैर सरकारी अध्यापक अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

1. समावेशी शिक्षा पर आधारित समप्रत्य के सन्दर्भ में श्रीमाली बी. एल. डबोक जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर ने (राज.) ''समावेशी शिक्षा'' के प्रति राजकीय व निजी विद्यालय के अध्यापकों के अभिमत जानने के लिए ''समावेशित शिक्षा के प्रति अध्यापकों का अभिमत'' विषय पर शोध किया है।
2. विद्यालयों में समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट विद्यार्थियों को भौतिक, स्वास्थ्य व शैक्षिक सुविधाएँ सीमित होने के कारण किस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसके अध्ययन हेतु शोधकर्त्री डॉ.रचना राठौर/हर्षिता राठौर ने जनजाति उपयोजना विद्यालयों में समावेशित शिक्षाः वस्तुस्थिति एवं चुनौतियाँ विषय पर शोध किया है।
3. भारतीय शिक्षकों के प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण और शिक्षको की समाावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारको की जाँच करने हेतु शोधकर्त्री डॉ. मिनाक्षी द्विवेदी ने प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन किया है।
4. नेशनल काउंसील फॉर टीचर एज्युकेशन (एन सी टी ई) नई दिल्ली बी. इएल. इडी. के सेवा पूर्व शिक्षकों का समावेशी शिक्षा के मध्य राष्ट्र शोध–नई दिल्ली 2012 सेवा शिक्षको का अलग–अलग ढंग से विचार और शिक्षा में एकीकृत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में पता करना। प्री–शिक्षकों को समकालीन भारत के भारतीयों को सख्त जरूरत हुई की समावेशी शिक्षा विविधता लोकतान्त्रिक कक्षा के विचारों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है।
5. फीर्लाडेलफीया ऑफ औस्टोपथिक मेडीशन–सीटी अवेनो फर्लाडेफीया

विशेष कक्षा शिक्षण में विशेष बालकों की विशिष्ट आवश्यकता को जानने हेतु शिक्षक के अभिमत का अध्ययन–इवांजलिन कर्ण।

परिकल्पनाएँ

1. समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. सरकारी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नही है।
3. गैर सरकारी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिसीमन

1. अध्ययन में केवल कोटा जिले के शिक्षकों का चयन किया गया है।
2. अध्ययन हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षकों का चयन किया गया है।
3. अध्ययन में शहरी एवं ग्रामीण शिक्षकों का चयन किया गया है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध की समस्या की विषयवस्तु की प्रकृति वर्णनात्मक अनुसंधान की है। इस कारण शोध हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा कोटा जिला के 100 शिक्षकों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है।

उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मापन हेतु शोधकर्त्री द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

सांख्यकीय विधियाँ

प्रस्तुत शोध सांख्यकी विधियों के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में मध्यमान, मानक विचलन व टी–मूल्य का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों के विश्लेषण, परिणाम एवं व्याख्या

प्रदत्तों का संकलन करने के उपरान्त प्राप्त प्रदत्तों का उद्देश्यानुसार विश्लेषण एवं व्याख्या की गयी उद्देश्यों के आधार पर जो परिणाम निकलाकर आये है वे निम्नलिखित है।

1. समावेशी शिक्षा को प्रति अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

तालिका–1

क्र.स.	समूह	संख्या (N)	मध्यमान (H)	प्रा. विचलन (SD)	टी मूल्य	सार्थकता का स्तर
1.	अध्यापक	50	17.38	1.31	0.67	स्वीकृत
2.	अध्यापिकाएँ	50	17.56	1.39		

तलिका–1 कोटा में शहर के अध्यापकों का मध्यमान 17.38 तथा प्रमाणित विचलन 1.31 है जबकि अध्यापिकाओं का मध्यमान 17.56 तथा प्रमाणित विचलन 1.49 है।

उपर्युक्त सारणी–1 से ज्ञात होता है कि अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं में मध्यमान क्रमशः 17.38 व 19.56 है। प्रमाणिक विचलन क्रमशः 1.31 व 1.41 है। df 98 पर दोनों समूहों से प्राप्त टी–मूल्य का मान 0.67 प्राप्त होता है। जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सारणीयन मूल्य 1.98 स्तर से बहुत कम है।

अतः शून्य परिकल्पना से अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही है। को स्वीकृत किया जाता है।

2.सरकारी अध्यापक, अध्यापिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

तालिका–2

समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रा.विचलन (SD)	टी–मूल्य	सार्थकता का स्तर
(1)सरकारी अध्यापक	25	17.76	0.9	0.79	स्वीकृत
(2)सरकारी अध्यापिकाएँ	25	17.48	1.47		

तलिका–2 में कोटा शहर से सरकारी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन में अन्तर को दर्शाती है। यहाँ सरकारी अध्यापकों का मध्यमान 17.76 तथा प्रमाणित विचलन 0.99 है जबकि सरकारी अध्यापिकाओं को मध्यमान 17.48 तथा प्रमाणित विचलन 1.47 है।

उपर्युक्त सारणी–2 से ज्ञात होता है कि सरकारी अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं में क्रमशः 17.76 व 17.48 है। प्रमाणिक विचलन क्रमशः 0.9 व 1.47 है। df 48 पर दोनों समूहों से प्राप्त T-Value का मान 0.79 प्राप्त होता है। जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सारणीयन मूल्य 2.01 स्तर से बहुत कम है।

अतः शून्य परिकल्पना से सरकारी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, को स्वीकृत किया जाता है।

3. गैर सरकारी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

तलिका–3

समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रा.विचलन (SD)	टी–मूल्य	सार्थकता का स्तर
(1)सरकारी अध्यापक	25	17.00	1.47	1.64	स्वीकृत
(2)सरकारी अध्यापिकाएँ	25	17.64	1.29		

तलिका संख्या–3 गैर सरकारी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर को दर्शाती है। यहाँ गैर सरकारी अध्यापकों का मध्यमान 17.64 तथा प्रमाणिक विचलन 1.29 है।

उपर्युक्त सारणी 3 से ज्ञात होता है कि गैर सरकारी अध्यापक तथा अध्यापिकाओं में मध्यमान क्रमशः 17.00 व 17.64 है। प्रमाणिक विचलन क्रमशः 1.47 व 1.29 है। df 48 पर दोनों समूहों से प्राप्त T-Value का मान 1.64 प्राप्त होता है, जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सारणीयन मूल्य 2.01 स्तर से बहुत कम है।

अतः शून्य परिकल्पना से गैर सरकारी अध्यापक व अध्यापिकाओं की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही है को स्वीकृत किया जाता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध प्रकरण 'समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन के न्यादर्शो के प्रत्युत्तरों के रूपों में प्राप्त सभी प्रदत्तों की प्रस्तुतीकरण कर उनकी व्याख्या और विश्लेषण किया जाता है। प्राप्त सभी प्रदत्तों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता (टी–मूल्य) के आधार पर पूर्व में की गई सभी परिकल्पनाओं को स्वीकार किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन में कोई सार्थक अन्तर नही पाया गया।

सुझाव

हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा समूह विशिष्ट बालकों का है। उनके लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जिनके द्वारा वे समाज का अंग बन सके और अपनी जीविकोपार्जन कर सके एवं सामान्य विद्यालयों में अध्ययन करने में हीन भावना खत्म होती है।

समावेशी शिक्षा अतिउत्तम शिक्षा प्रणाली व्यवस्था है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों एवं सामान्य बालकों में एक–दूसरे के प्रति सहिष्णुता, सहयोग, दया, मित्रता, समानता आदि गुणों एवं भावों को पल्लवित, पुलकित करती है सरकार को इस दिशा में और सार्थक कदम उठाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

Indian Jaurnal of Teacher Education Volume 01, Number 01, January 2015

भारतीय शिक्षा शोध–पत्रिका, Teacher Education Voume 34, Number 02, July-Dec-2015

Teacher Education EDUCATION HERALD Voume 46,Number 01,Jan-March 2017

एक समावेशी स्कूल बनाना, डॉ. संजय दत्ता,डॉ. विजय चन्द आचार्य, वैशाली पब्लिकेशन, वैशाली नगर,जयपुर, नवीन संस्करण,--2017

नई शिक्षा राष्ट्रीय मासिक पत्रिका वर्षः67, अंकः 7, 28 फरवरी 2018, पृष्ठः28

www.scribd.com